272

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

निगरानी | छतरपुर | भूराo | 2017 | 3161

सन्तोष पुत्र श्री लछिया, निवासी – ग्राम बगमऊ, तहसील – लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) ––आवेदक

विरूद्ध

1– ओम प्रकाश पुत्र श्री हल्के राजपूत,

2– मथुरा पुत्र श्री नन्दा लोधी,

3– हरलाल पुत्र श्री मथुरा लोधी,

4– अन्तु पुत्र श्री मथुरा लोधी,

5– सुल्लू पटेल पुत्र श्री पंचा पटेल,

समस्त निवासीगण ग्राम बगमऊ, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
–– अनावेदकगण

द्वारा आज दि. 6-9-17 को प्रस्तुत

रीडर/क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर के समक्ष अनावेदक कमांक 1 ओमप्रकाश द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आवेदक को मौके से बेदखल किये जाने के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में कोई विधिवत जॉच नहीं की गयी और ना ही स्थल का सीमांकन कराया गया। ऐसी स्थिति में आवेदक का अवैध कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं है। इस तथ्य पर विचार किये बिना जो कार्यवाही एवं आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया था कि अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर द्वारा पूर्व

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 3161 /2017

सन्तोष विरूद्ध ओमप्रकाश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01 / अ–70 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 01–09–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 11-3-19 (आर0के0 जैन) सदस्य	